न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र सख्या : 284/2018

तारीख दायरा : 23.08.2018

उनवान

1. मुन्शी पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर हाल निवासी खैरथल तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर।।

..वादी।

बनाम

1.अशोक कुमार कटारिया पुत्र श्री फेरूमल जाति सिन्धी निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री हसंराज यादव, अधिवक्ता .....वादी की ओर से ।
2.अप्रार्थीगण की ओर से कोई उप0 नहीं।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांकः 29.7.19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी 67 रकबा 1.0100 हैक्टेयर खाता वख्या 471 वाके ग्राम मातौर में स्थित है जिसमें 1/3 हिस्सा मिन वादी व उसके भाई जीतराम पुत्र मोहर सिंह की कब्जा काशत खातेदारी की आराजी है तथा शेष 2/3 भाग मिन वादी के परिवारजन की खातेदार कब्जा काश्त की है। उक्त आराजी के डोल में प्रतिवादी की अलोटशुदा आराजी ख.न.65 व 66 है। प्रतिवादी दीगर लोगों के बहकावे में आकर वादी की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहा है। दिनांक 12.08.2018 को प्रतिवादी ने मौके पर आराजी आराजी डोल तोडकर कब्जा करने का प्रयास किया था। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की रूकावट व दखंलदाजी ना करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो अभी निरन्तर है।

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी अनाधिकृत रूप से वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। रिकार्डेड खातेदार हूँ इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर दावा वादी डिक्री किया जावे।

हमने योग्य अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी स. 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी का वादी 1/3 भाग का रिकार्डेड खातेदार हे। प्रतिवादी का इस आराजी से कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है। वादी द्वारा जो कथन किये गये उनका कोई खण्डन भी नहीं हुआ है। प्रतिवादी को एक रिकार्डेड खातेदार की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने कब्जा करने एवं उसे बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का दावा डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट से पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.न. 67 रकबा 1.0100 हैक्टेयर ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार रूकावट पैदा ना करें तथा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

29.7.19
(योगेश कुमार डागुर)

निणर्य आज दिनांक 29.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.7.19
(योगेश कुमार डागुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र सख्या : 284/2018

तारीख दायरा : 23.08.2018

उनवान

1. मुन्शी पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर हाल निवासी खैरथल तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर।।

..वादी।

बनाम

1.अशोक कुमार कटारिया पुत्र श्री फेरूमल जाति सिन्धी निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिक्री दिनांक 29.7.19

वादी का दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट से पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.न. 67 रकबा 1.0100 हैक्टेयर ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार रूकावट पैदा ना करें तथा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

29.7.19

(योगेश कुमार डागुर)

Scanned by CamScanner